

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 फरवरी 2023—माघ 20, शक 1944

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2023

लो. स्वा. परि. कल्याण-0111-2022-सत्रह-मेडि-1.—फार्मैसी अधिनियम, 1948 की धारा 19(बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, फार्मैसी कौंसिल मध्यप्रदेश में निर्मांकित सदस्यों का मनोनयन करता है:—

1. श्री संजय कुमार जैन, 62-बी, कस्तूरबा नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश
2. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान, वार्ड नम्बर-12, मुखर्जी नगर, रायसेन
3. श्री राजू चतुर्वेदी, आशा मेडिकल स्टोर, रायसेन
4. श्री रामरतन गर्ग, रमतापुरा, सेवा नगर, ग्वालियर
5. डॉ. पवन कुमार दुबे, प्रिन्सिपल, स्वामी विवेकानन्द कॉलेज आफ फार्मैसी, इंदौर

सदस्यों की शक्तियाँ और कृत्य फार्मैसी अधिनियम, 1948 के अनुसार होगी.

अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा आगामी आदेश तक विद्यमान रहेगी.

PHFW-0111-2022-XVII-Medi-1.—In exercise of powers conferred by Pharmacy Act, 1948 Section 19(B), the State Government hereby nominate members of Pharmacy Council Madhya Pradesh as follows :—

1. Shri Sanjay Kumar Jain, 62-B, Kasturba Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh
2. Shri Satyendra Singh Chouhan, Ward No. 12, Mukerjee Nagar, Raisen
3. Shri Raju Chaturvedi, Asha Medical Store, Raisen
4. Shri Ramratan Garg, Ramtapura Seva Nagar, Gwalior
5. Dr. Pavan Kumar Dube, Principal, Swami Vivekanand College of Pharmacy, Indore.

The powers & functions of members shall be as per Rules of Pharmacy Act, 1948.

The notification shall come into force immediately and shall remain valid till further orders.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाड़े, सचिव.